न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 55 / 19 वाद　　　　　　GCMS N0 2019 / 00245
पूर्व प्रकरण संख्या 22 / 14

1. प्रभुलाल पिता राधेश्याम जी माली, निवासी–टेकरी, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
2. जसवन्त पिता राधेश्याम जी माली, निवासी–टेकरी, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती वन्दना पत्नि रमेश जी गन्ना, निवासी–झीणी रेत का चौका, उदयपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

......प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री आलोक जैन अधिवक्ता वादी
श्री कैलाश नागदा अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक : 29.04.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम शहर, पटवार क्षेत्र शहर, तहसील गिर्वा, उदयपुर में आराजी संख्या 1722 रकबा 0.0800 है0 भूमि वादीगण के बाप दादाओं के समय से चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि को बिना वादीगण की सहमति के किसी भी कोपार्सनर को हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं था। वादग्रस्त जमीन का हस्तान्तरण वादीगण के मौजूद होते हुए भी उनकी सहमति के बिना धर्मचन्द के हक में लिखा गया, वह एबइनिश्योवोइड होकर बिना [illegible] उस हस्तान्तरण को देखा नहीं जा सकता है। वादीगण का जन्म से ही हक, अ[illegible] जो इसके कोपार्सनर है। यह हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित जायदाद है। [illegible] उक्त जमीन पर कब्जा अपने बाप--दादाओं के समय से चला आ रहा [illegible] में कालूला[illegible] मावा जी माली, निवासी शहर टेकरी के नाम [illegible] जमीन के सम्बन्ध [illegible]न्द ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.25 13:16:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा
कलक्टर परिसर, उदयपुर

विक्रय करने बाबत् वाद पेश किया था तथा न्यायालय द्वारा धर्मचन्द के हक में विक्रय निष्पादित किया वह विक्रय पत्र वोइड है, जिसे कानूनन नहीं देखा जा सकता है। प्रार्थीगण का उक्त जमीन पर कब्जा अपने बाप–दादाओं के समय से लगातार व शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। दिनांक 29.11.1992 से आज दिन तक एक भी दिन धर्मचन्द या प्रतिवादी का कब्जा नहीं रहा है। धर्मचन्द ने उक्त जमीन का विक्रय प्रतिवादी के हक में इसी आधार पर किया कि मेरा इस जायदाद पर एक भी दिन कब्जा नहीं रहा है। खरीददार जबरन कब्जा कर लेगे, परन्तु प्रतिवादी ने एक भी दिन कब्जा नहीं किया है। धर्मचन्द के हक में जो विक्रय पत्र लिखा गया था उस समय भी कब्जा न्यायालय द्वारा धर्मचन्द को नहीं दिलाया गया है। वादीगण का कब्जा अतिक्रमणकारी के रूप में माना जावे तो भी उस कब्जे को 12 वर्षो से अधिक समय हो गया है। इस कारण भी वादीगण प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुके है। वादग्रस्त भूमि अभी प्रतिवादी के नाम पर खाते दर्ज होने से कथित जमीन को वास्तविक रूप में खातेदार काश्तकार वादीगण होते हुए भी राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण को खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया गया है। वादीगण को वाद कारण दिनांक 05.01.2014 को पैदा हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त जमीन अपने खाते कराने को कहा और प्रतिवादी संख्या 2 ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में वादीगण के हक व प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराने जाने की डिक्री प्रदान की जावे व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब मय विशेष उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किया कि वादग्रस्त जमीन कालु जी के स्वतन्त्र रूप से खातेदारी थी। सन् 1956 के बाद भी कालु जी ही इसके खातेदार थे और कालु जी की मृत्यु हुई तब भी वो ही अकेले खातेदार थे। वादीगण का इस जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है ना ही वे को–पार्शनर है। जैसी जानकारी प्रतिवादी को प्राप्त हुई है उस अनुसार वादग्रस्त जमीन के सन्दर्भ में कालुलाल जी माली ने दिनांक 08.10.1991 को धरमचन्द के हक में एक विक्रय इकरार किया और कालुलाल जी द्वारा उसकी पालना नहीं करने से अनुबन्ध की विनिर्दिष्ठ पालना का वाद न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। कालुलाल जी की मृत्यु हो जाने से कालुलाल जी के वारिसान को कायम मुकाम के तौर पर प्रतिस्थापित किया गया जिसमें वादीगण के पिता राधेश्यामजी भी शामिल है और इस दावे का फैसला दिनांक 29.08.1997 को प्रकरण संख्या 142/1993 द्वारा हुआ और धरमचन्द जी का वाद न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया। उसके बाद में डिक्री की पालना नहीं करने पर धरमचन्द जी द्वारा हकरसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसमें न्यायालन ने दिनांक 10.05.2001 को धरमचन्द जी के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन कर पंजीयन करवाया और दिनांक 18.05.2004 को सेल अमीन द्वारा कब्जा दिया गया उसके बाद दिनांक 21.06.2012 को यह जमीन धरमचन्द जी ने प्रतिवादी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र की और कब्जा सुपुर्द किया। पूर्व में यह जमीन धरमचन्द [illegible] और वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज होकर वह अधिपत्यधारी है इ[illegible] [illegible]गण का यह लिखना कि हस्तान्तरण एब–इनिश्यो वोईड है यह कथन बिल्कुल गलत है। विधि[illegible] प्रक्रिया से विक्रय हुआ है। दिनांक 19.06.1996 को धरमचन्द जी द्वारा इनके अधिवक्ता [illegible] वादग्रस्त जमीन के सन्दर्भ में प्रकाशित करवाई गई थी और उसमें कालूलाल जी द्वा[illegible] इकरार करने और उनकी मृत्यु हो जाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.25 13:16:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) गिर्वा
कलक्टर परिसर, उदयपुर

उनके उत्तराधिकारियों द्वारा पुनः विक्रय करना जाहिर करने के सम्बन्ध में आम सूचना जारी की गई लेकिन कालूलाल जी के वारिसान ने एवं वादीगण ने कभी भी इस आम सूचना का खण्डन नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 1 ही इसका रेकर्डेड टिनेन्ट है और इसके विरूद्ध किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण का वाद मय खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब का जवाबबुल जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के कानूनी खातेदार कालू जी, प्रभुलाल जी व जसवन्त जी थे परन्तु खाते में कर्ता कालू जी होने से इन्हीं का नाम दर्ज था। खाते में नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण के खातेदारी अधिकान समाप्त नहीं होते है वे इस जमीन के कोपार्सनर है तथा सभी कोपार्सनर का नाम खाते में दर्ज नहीं होता है। कालू जी का स्वर्गवास कौन से साल में हुआ, प्रतिवादीगण ने जानबूझकर नहीं बताया है, सन् 1956 के बाद होता है तो भी धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार एक कोपार्सनर के मरने पर भी बकाया कोपार्सनर ही मालिक काबिज रहते है। कालूलाल जी ने कभी भी इकरार धरमचन्द को नहीं किया है। वादीगण के मुकाबले कोई वाद तय नहीं हुआ है। वादग्रस्त सम्पत्ति खातें में अकेले एक कोपार्सनर के नाम दर्ज हो जाने से दूसरे कोपार्सनर के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। कथित जायदाद का कोपार्सनर के बीच बंटवाड़ा नहीं हुआ था। इस कारण कालू जी ने अगर कोई विक्रय इकरार कि भी था तो वह नल एण्ड वोइड है तथा उस विक्रय इकरार के आधार पर कोई डिक्री भी प्राप्त की है तो वह नल एण्ड वोइड है। वादीगण का नाम रेकार्ड में खातेदार की हैसियत से दर्ज होना रह जाने से उसके खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। मौके पर आज भी कब्जा वादीगण का है। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक 14.08.14 को न्यायालय द्वारा निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त भूमि वादीगण के बापदादाओं के समय से चली आ रही होकर वादीगण कोपार्सनर होने से वादग्रस्त भूमि की अपने नाम की घोषणा करा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है

......वादीगण

2. आया वादीगण ने अपने वाद में यह नहीं बताया गया है कि वह कैसे कोपार्सनर है

.....प्रतिवादीगण

3. आया वादीगण ने कालूलाल जी की सारी जमीन का दावा पेश नहीं कर सिर्फ एक आराजी का दावा पेश किया है एवं कालूलालजी के वारिसान को भी पक्षकार नहीं बनाया है अतः दावा आशिक होने से चलने योग्य नहीं है

......प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.25 13:16:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा कलक्टर परिसर, उदयपुर

4. आया विक्रय इकरार की विधिष्ट पालना वाद के तहत् न्यायालय द्वारा धर्मचन्द को रजिस्ट्री न्यायालय द्वारा कराई गई तथा धर्मचन्द द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कराई गई। प्रतिवादी संख्या 1 रजिस्टर्ड खातेदार है। अतः प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

......प्रतिवादीगण

प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता का साक्ष्य वन्दन पत्नि रमेश जी के शपथ पत्र पर वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित जायदाद होकर वादीगण के बाप दादाओं के समय से चली आ रही है। जिसमें वादीगण भी इसके कोपार्सनर है, तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र का जवाब देते हुए कथन किया गया है कि वादग्रस्त जमीन कालूलाल पिता मावा जी माली द्वारा धर्मचन्द के पक्ष में दिनांक 08.10.1991 को विक्रय इकरार किया गया तथा अनुबन्ध की पालना का वाद न्यायाल में प्रस्तुत किया तथा दावे का फैसला दिनांक 29.08.197 को हुआ, जिसमें धर्मचन्द का वाद डिक्री किया गया तथा दिनांक 10.05.2001 को धर्मचन्द के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर उस विक्रय का पंजीयन दिनांक 18.05.2001 को किया गया। जबकि यह समस्त कार्यवाही वादीगण के मुकाबले वोईड है तथा इससे धर्मचन्द को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादग्रस्त जमीन में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। जबकि वास्तविक खातेदार वादीगण होते हुए भी राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज कराने से वचित है। अतः वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के कोपार्सनर होने से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। दौराने बहस प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा वादीगण की बहस का प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त जमीन कालु जी के स्वतन्त्र रूप से खातेदारी थी तथा सन् 1956 के बाद भी कालु जी ही इसके खातेदार थे और कालु जी की मृत्यु हुई तब भी वो ही अकेले खातेदार थे। वादग्रस्त जमीन के सन्दर्भ में कालुलाल जी माली ने दिनांक 08.10.1991 को धरमचन्द के हक में एक विक्रय इकरार किया और कालुलाल जी द्वारा उसकी पालना नहीं करने से अनुबन्ध की विनिर्दिष्ठ पालना का वाद न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। कालुलाल जी की मृत्यु हो जाने से कालुलाल जी के वारिसान को कायम मुकाम के तौर पर प्रतिस्थापित किया गया जिसमें वादीगण के पिता राधेश्यामजी भी शामिल है और उस वाद का फैसला दिनांक 29.08.1997 को प्रकरण संख्या 142/1993 द्वारा हुआ और धरमचन्द जी का वाद न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया। उसके बाद में डिक्री की पालना नहीं करने पर धरमचन्द जी द्वारा हकरसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसमें न्यायालय ने दिनांक 10.05.2001 को धरमचन्द जी के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन कर पंजीयन करवाया और दिनांक 18.05.2004 को सेल अमीन द्वारा कब्जा दिया गया उसके बाद दिनांक 21.06.2012 को यह जमीन धरमचन्द जी ने प्रतिवादी को जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadra
Date: 2024.05.25 13:16:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा कलक्टर परिसर, उदयपुर

पंजीकृत विक्रय पत्र की और कब्जा सुपुर्द किया। पूर्व में यह जमीन धरमचन्द जी के खातेदारी में थी और वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज होकर वह अधिपत्यधारी है। विधिक प्रक्रिया अनुसार विक्रय होने से प्रतिवादीगण वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार होने से वादीगण का वाद खारिज फरमाया जाने योग्य है। प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निम्न दृष्टांत पेश किए गए :-

1. 2018 CJ(Partition) Supreme Court Page No 304
2. 2008 DNJ Supreme Court Page No 364
3. 2016 DNJ Supreme Court Page No 258
4. 2020 RRT (2) Page No 858
5. 2010 (2) RRT Page No 1392

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजो एवं प्रस्तुत बहस के आधार पर प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :-

1. आया वादग्रस्त भूमि वादीगण के बापदादाओं के समय से चली आ रही होकर वादीगण कोपार्सनर होने से वादग्रस्त भूमि की अपने नाम की घोषणा करा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है

......वादीगण

➢ तनकी संख्या 1 को साबित करने का दायित्व वादीगण का है। उक्त तनकी वादीगण के जिम्मे होने से वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम उदयपुर पटवार मण्डर शहर की जमाबंदी संवत 2049 से 2052 पेश की गई। जिसके अनुसार खाता संख्या नया 306 में वादग्रस्त आराजी संख्या 1722 रकबा 0.0800 हैक्टयर के आलवा अन्य आराजीयात होकर शामिल खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण कोपार्सनर हो इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा अपनी ब्यानों में स्वीकारा गया है कि "उनके दादाजी कालुलाजी द्वारा बंटवाड़ा वादीगण के पिता राधेश्याम व उनके भाई मेन्दुजी व मगनी राम के मध्य किया जा चुका है एवं उनको कौनसे खेत दिए गए है तथा यह भूमि कालुलाल जी के पास उनके पूर्वजों से आयी है इस सम्बन्ध में भी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।" वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के कोपार्सनर किसी प्रकार प्रतीत होते है इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नही करने के कारण तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया वादीगण ने अपने वाद में यह नहीं बताया कि वह कैसे कोपार्सनर है

......प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.25 13:16:20 IST
Reason: SelfAttested

➢ उक्त तनकी संख्या 2 को साबित करने का दायित्व प्रतिवादीगण का है, चूंकि तनकी संख्या 1 में वादीगण स्वयं को कोपार्सनर साबित करने में असफल रहे जिससे तनकी संख्या 1 उनके विरूद्ध तय होने से उक्त तनकी संख्या 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) गिर्वा
कलक्टर परिसर, उदयपुर

3. आया वादीगण ने कालूलाल जी की सारी जमीनो का दावा पेश नहीं कर सिर्फ एक आराजी का दावा पेश किया है एवं कालूलालजी के सभी वारिस को भी पक्षकार नहीं बनाया है अतः दावा आशिक होने से चलने योग्य नहीं है

......प्रतिवादीगण

➢ तनकी सख्या 3 को साबित कराने का दायित्व प्रतिवादीगण के जिम्मे होने से प्रतिवादीगण द्वारा का है। उक्त तनकी वादीगण के जिम्मे होने से वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में राजस्व ग्राम उदयपुर पटवार मण्डल शहर की जमाबन्दी संवत् 2042 से 46 की पेश कि जिसके अनुसार खाता संख्या नयी 211 में वादग्रस्त आराजीयात 1722 के अलावा आराजी संख्या 1721, 1723, 1724, 1733, 1734, 1736, 1737, 1747, 1750, 1751 व 1757/1753 कालु पिता माणा माली के नाम दर्ज है, तथा कालुलाल जी के फौत होने के कारण नामान्तरण संख्या 300 दिनांक 09.03.92 से विरासत से कालूलाल जी के बजाय मेन्दुजी, मगनलाल, राधेश्यामि पिता कालुलाल व श्रीमती सज्जनबाई बेवा कालूलाल के नाम दर्ज हुई है यह राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित होता है। वादीगण द्वारा अपनी ब्यानों में स्वीकारा गया है कि "कालुलाल जी द्वारा जमीन का बंटवाड़ा र दिया है इसलिए हमने दूसरों को पक्षकार नहीं बनाया है।" प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा सभी आराजीयात को दावा पेश नहीं किया गया है, केवल मात्र एक आराजीयात का दावा पेश कर सभी पक्षकारान् को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उक्त तनकीयात प्रतिवादीगण द्वारा ठोस आधारों पर साबित कराने से तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

4. आया विक्रय इकरार की विधिष्ट पालना वाद के तहत् न्यायालय द्वारा धर्मचन्द को रजिस्ट्री न्यायालय द्वारा कराई गई तथा धर्मचन्द द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कराई गई। प्रतिवादी संख्या 1 रजिस्टर्ड खातेदार है। अतः प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

......प्रतिवादीगण

➢ उक्त तनकी प्रतिवादी के जिम्मे होने से प्रतिवादीगण द्वारा जिला न्यायाधीश उदयपुर के निर्णय दिनांक 29.08.97 के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके अनुसार धर्मचन्द द्वारा वादीगण के पिता व अन्य के विरूद्ध वाद अनुबन्ध की की विनिर्दिष्ट पालनार्थ व आज्ञप्ति के सम्बन्ध में सम्बन्ध में वाद पेश किया गया। न्यायालय द्वारा वाद डिक्री किया गया। तत्पश्चात् न्यायालन ने दिनांक 10.05.2001 को धरमचन्द जी के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन कर पंजीयन करवाया। धर्मचन्द द्वारा वादग्रस्त आराजीयात आराजी संख्या 1722 का विक्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 21.06.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया। जिसकी नामान्तरण संख्या 1680 दिनांक 06.07.12 को बिकाव से प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती चन्दना पत्नि ... के पक्ष में राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा ठोस आधारों पर दस्ता... के माध्यम से साबित कराने से प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा के ... नहीं होने ... तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.25 13:16:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) गिर्वा
कलक्टर परिसर, उदयपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा ... सत्यमेव जयते

उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रस्तुत दृष्टांत के आधार पर किये गए विवेचन अनुसार न्यायालय का मत है कि वादीगण स्वयं को वादग्रस्त आराजीयात के कोपार्सनर किस प्रकार है।

प्रतिवादीगण द्वार उक्त भूमि का क्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 21.06.2012 को किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा धर्मचन्द जी से भूमि क्रय की गई उक्त भूमि के पंजीकृत बिकानामा के विरूद्ध वादीगण द्वारा किसी सिविल न्यायालय में न तो वाद दायर किया ना ही किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त की। धर्मचन्द द्वारा उक्त भूमि को माननीय सिविल न्यायालय से जरिये डिक्री प्रकरण संख्या 14/1993 दिनांक 29.08.1997 को अपने पक्ष में हुई डिक्री के बाद माननीय न्यायालय द्वारा ईजराय की पालना में धर्मचन्द के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादन किया गया। वादीगण द्वारा डिक्री दिनांक 29.08.1997 के विरूद्ध न्यायालय में अपील कर राहत प्राप्त कर सकते है।

इस तथ्य को साबित कराने में असफल रहे है तथा वादीगण द्वारा अपना वाद कालुलालजी द्वारा दिनांक 08.10.1991 को धममचन्द के हक में विक्रय इकरार के आधार पर पेश किया गया है। विक्रय इकरार साबित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय का है। वादीगण इस सम्बन्ध में सबंधित न्यायालय में कारवाही हेतु स्वत्रंत है। प्रतिवादीगण द्वारा ठोस दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष साबित करने में सफल रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीया आराजी संख्या 1722 रकबा 0.0800 हैक्टयर विधिक प्रक्रिया अनुसार क्रय किया गया जो दस्तावेजों से प्रमाणित हुआ है।

अतः तनकी वार विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध तथा तनकी संख्या 2, 3 व 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किये जाने से वादीगण का वाद एवं अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

29/5/24

रमेश सीरवी [illegible]

सहायक कलेक्टर [illegible]

गिर्वा, उदयपुर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) [illegible]

सत्यमेव जयते

कलेक्टर परिसर, उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.25 13:16:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या : 55/19

उनवान : प्रभुलाल बनाम चन्दना

निर्णय : वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री व मुकदमे इस्तगासे
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा-उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकदमा 55/19 सन 2019 उनवान (1) प्रभुलाल पिता [illegible] जी माली, निवासी-टेकरी, तहसील-गिर्वा, उदयपुर (2) [illegible] पिता [illegible] जी माली, निवासी-टेकरी, तहसील-गिर्वा, उदयपुर बनाम (1) श्रीमती चन्दना [illegible] निवासी-[illegible], उदयपुर (2) सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निस्तारण किये जाने बाबत रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री [illegible] जैन अधिवक्ता वादी एवं श्री [illegible] अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि-

तनकी वार विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1 वादी के विरुद्ध तथा तनकी संख्या 2, 3 व 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किये जाने से वादी का दावा एवं प्रतिवादीगण का प्रतिदावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

और इस दावे के खर्चे रोकड़ .... रुपये की रकम .... आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .... द्वारा .... को दी जाए।

यह आज तारीख 23 माह 4 सन 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) गिर्वा
[illegible], उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्श के लिए स्टाम्प			प्रदर्श के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्च			विविध खर्च		
योग			योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.25 13:16:20 IST
Reason: SelfAttested